प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 29.08.2025

थाना विजयनगर पुलिस टीम द्वारा पुलिस मुठभेड़ में लूट/छीनेती/चोरी की घटना को कारित करने वाले 02 अभियुक्त को किया गिरफ्तार। कब्जे से एक पीली धातु की चैन, 5500/- रूपये व घटना में प्रयुक्त मोटर साईकिल एवं अवैध अस्लाह व कारतूस बरामद ।

दिनांक 28.08.2025 की रात्रि में थाना विजयनगर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मोटर साईकिल सवार दो बदमाश को पुलिस द्वारा रोकने का प्रयास किया गया किन्तु नहीं रुके । मोटर साईकिल सावर बदमाश द्वारा मोटर साईकिल को सीएचएसपी फ्लाईवर को जाने वाले कच्चे रास्ते पर मोडकर भागने लगे । जिसका पीछा पुलिस द्वारा किया तथा बदमाशों की मोटर साईकिल अनियन्त्रित होकर सीएचएसपी स्कूल फ्लाईवर ब्रिज के नीचे मोड पर फिसल कर गिर गयी । बदमाशो को पुलिस पार्टी द्वारा आत्मसर्मपण हेतु कहा गया लेकिन पुलिस पार्टी को अपनी ओर आता देख बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर करते हुये भागने का प्रयास किया गया । जिसमें आत्मरक्षार्थ में पुलिस पार्टी द्वारा भी सिखलाये गये तरीके से बदमाश पर फायरिंग की गई जिसमें एक बदमाश साबिद पुत्र उजालुद्दीन निवासी मुगलगार्डन मसुरी नियर मदरसा के पास थाना मसुरी गाजियाबाद घायल हो गया तथा दूसरे बदमाश अंशु पुत्र मुकेश हलवाई निवासी शंकरपुरी सैक्टर – 9 थाना विजयनगर गाजियाबाद को पुलिस द्वारा मौके पर मोटर साईकिल एवं अवैध अस्लाह के साथ गिरफ्तार किया गया। घायल अभियुक्त साबिद उपरोक्त को उपचार हेतु जिला एमएमजी गाजियाबाद होस्पिटल में भर्ती कराया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैं तथा मेरा साथी अंशु हम दोनों मिलकर एनसीआर क्षेत्र में बाजार एवं भीड़भाड़ वाली जगह से मोटर साईकिल चोरी करके उससे चलते फिरते व्यक्तियों से उनके पर्स एनं चैन , मोबाईल आदि सामान छीन कर भाग जाते हैं और उसे बेचकर जो रूपया मिलता है उसे आपस में बांट लेते तथा अपने शौंक पूरे करते हैं। जो मुझसे मोटर साईकिल मिली है । वह भी हमने आज सिहानी चुंकी से चोरी की थी तथा दिनांक 23.08.2025 मैने तथा अंशु ने प्रतापविहार में एसएसके स्कूल रामलीला ग्राउण्ड के पास पैदल जा रही एक बुजुर्ग महिला से उसके गले से चैन छीन थी जो रूपये हमसे बरामद हुए है वह उसी चैन के बचे हुये रूपये है। आज भी मैं किसी घटना की फिराक में घूम रहे थे कि पुलिस द्वारा पकड़ लिये गये।

नाम पता अभियुक्तः -

1. साबिद पुत्र उजालुद्दीन निवासी मुगलगार्डन मसुरी नियर मदरसा के पास थाना मसुरी गाजियाबाद उम्र 27 वर्ष।
2. अंशु पुत्र मुकेश हलवाई निवासी शंकरपुरी सैक्टर – 9 थाना विजयनगर गाजियाबाद उम्र 26 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

1. एक पीली धातु की चैन।
2. 5500/- रूपये नगद बरामद ।
3. 01 अवैध तमंचा 315 बोर , 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर
4. घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साईकिल UP14CU7482।

अभियुक्त का अपराधिक इतिहासः-

अभियुक्त साबिद उपरोक्त पर - 02 अभियोग लूट/चोरी/आर्मस एक्ट के थाना विजयनगर पर पंजीकृत है।

अभियुक्त अंशु उपरोक्त पर - 04 अभियोग लूट/चोरी/आर्मस एक्ट के थाना विजयनगर पर पंजीकृत है।

गिरफ्तार एवं बरामदगी करने वाली पुलिस टीमः-
थाना विजयनगर पुसि टीम कमिश्नरेट गाजियाबाद।

थाना मसूरी पुलिस द्वारा धोखाधड़ी के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 28.08.2025 को थाना मसूरी पर वादी द्वारा तहरीर दी गयी कि अभियुक्त नौशाद द्वारा फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत कर कूटरचना व धोखाधडी कर फर्जी बैनामे के आधार पर बिना किसी मालिकाना हक के वादी को प्लॉट की बिक्री/रजिस्ट्री करना तथा वादी के साथ गाली गलौज करते हुये जान से मारने की धमकी देना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मसूरी पर धारा 319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)/352/351(3) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया व अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया ।

तत्पश्चात आज दिनांक 29.08.2025 को थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त नौशाद पुत्र अख्तर अली निवासी प्रशान्त विहार लोनी गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-

पूछताछ के दौरान अभियुक्त नौशाद उपरोक्त ने बताया कि मैने पैसों के लालच में फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत कर कूटरचना व धोखाधडी कर फर्जी मुख्तारनामे के आधार पर बिना किसी मालिकाना हक के उपरोक्त प्लॉट की वादी को बिक्री / रजिस्ट्री कर दी थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

नौशाद पुत्र श्री अख्तर अली निवासी प्रशान्त विहार लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 39 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग -

अभियुक्त के विरूद्ध थाना मसूरी पर धोखाधडी व अवैध निर्माण के सम्बन्ध में कुल 02 अभियोग पंजीकृत हैं। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना मसूरी पुलिस टीम।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 27.08.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पर वादिया द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्त फिरोज द्वारा वादिया के साथ शादी का झांसा देकर वादिया के साथ शारीरिक संबंध बनाना। प्राप्त तहरीर

के आधार पर थाना लोनी बोर्डर पर तत्काल धारा- 69/89 बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 29.08.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त फिरोज पुत्र सलीम निवासी ग्राम मुकीमपुर थाना भोजपुर गाजियाबाद उम्र करीब 26 वर्ष को लोनी बस डिपो लोनी बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मेरी पीड़िता से जान पहचान व बातचीत थी। मैंने उसे शादी का झांसा देकर उसके साथ गलत काम किया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

फिरोज पुत्र सलीम निवासी ग्राम मुकीमपुर थाना भोजपुर गाजियाबाद उम्र करीब 26 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना भोजपुर पर मारपीट/गाली गलौज के संबंध में 02 अभियोग पंजीकृत हैं तथा उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना लोनी बॉर्डर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। **(कुल अभियोग-03)**। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम–

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा गुमशुदा बच्चे को सकुशल बरामद कर परिजनो के सुपुर्द किया गया।

दिनांक 26.08.2025 को वादिया द्वारा थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर लिखित सूचना दी गयी कि उसका पुत्र जिसकी उम्र करीब 14 वर्ष है, दिनांक 24.08.2025 को सुबह 5 बजे बिना बताये घर से कहीं चला गया है जिसको हमने काफी तलाश कर लिया है परन्तु नही मिला है। प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर धारा 137(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा उपरोक्त बच्चे की तलाश हेतु थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक से पुलिस टीमों का गठन किया गया।

दिनांक 28.08.25 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा घटना स्थल के आस पास सीसीटीवी कैमरे व मैनुअल इनपुट के आधार पर उपरोक्त गुमशुदा बच्चे को मलाड मुम्बई से सकुशल बरामद किया गया तथा आज दिनांक 29.08.2025 को उसके परिजनों के सुपुर्द किया गया। बच्चे के परिजन अपने बच्चे को पाकर काफी खुश हुए एवं पुलिस का आभार प्रकट किया।

पूछताछ का विवरण–

बच्चे द्वारा पूछताछ पर बताया कि मेरा मुम्बई जाने का मन था, मैंने यह बात अपने परिजनों को नही बतायी थी, क्योकि मैं अपने परिजनो को यह बात बताता तो वे मुझे घर से कभी मुम्बई ना जाने देते। इसी कारण

मैं 2-3 दिन पहले घर से दिल्ली स्टेशन पर गया और वहां से मुम्बई वाली ट्रेन पकड कर मुम्बई चला गया था। मुझे कल पुलिस ने मलार्ड मुम्बई से बरामद किया गया।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम-

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम।

थाना टीला मोड़ पुलिस टीम द्वारा दो पहिया वाहन चोरी की घटना कारित करने वाले 03 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद।

कार्यवाही का विवरणः- दिनांक 12.08.2025 को थाना टीलामोड़ पर वादी मुकेश पुत्र गयाराम सिंह निवासी सी/537 हर्ष विहार द्वितीय थाना टीलामोड़ जनपद गाजियाबाद द्वारा लिखित तहरीर दी कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा मेरी मोटर साइकिल को चेतना पब्लिक स्कूल के पास से चोरी कर लिया गया है। तत्काल थाना टीलामोड़ पुलिस द्वारा वादी की प्राप्त तहरीर के आधार पर धारा 303(2) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत कर मैनुअल इनपुट व सीसीटीवी फुटेज व मुखबिर की सूचना के आधार पर दिनांक 28.08.2025 को उक्त घटना को कारित करने वाले 03 शातिर अभियुक्त 1. आदिल पुत्र जफर निवासी विनोद कसाना की पुराने कपड़ो की फैक्ट्री में बिहारी होटल के पास ग्राम भौपुरा थाना टीलामोड़ जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 30 वर्ष, 2. मो0 वसीम पुत्र मो0 चाँद निवासी एम के रेस्टोरेन्ट के पास LIG फ्लैट्स तुलसी निकेतन थाना टीलामोड़ जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष, 3. राहुल पुत्र जगमाल निवासी म0नं0 332 गली नं018 सरकारी स्कूल के पीछे हर्ष विहार द्वितीय थाना टीलामोड़ जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 28 वर्ष को टीलामोड़ क्षेत्रान्तर्गत कोयल एन्कलेव में तिकोना पार्क के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद हुई। गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध बीएनएस की धारा 303(2) में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि तीनो अभियुक्तगण उपरोक्त ने मिलकर उक्त मोटर साइकिल को करीब 15-16 दिन पहले चेतना पब्लिक स्कूल के पास हर्ष विहार द्वितीय से चोरी किया था। उक्त मोटर साइकिल को बेचने की फिराक में तीनों अभियुक्तगण दिनांक 28.08.2025 को कोयल एन्कलेव में तिकोना पार्क के आस पास घूम रहे थे।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहासः-

1. आदिल पुत्र जफर निवासी विनोद कसाना की पुराने कपड़ो की फैक्ट्री में बिहारी होटल के पास ग्राम भौपुरा थाना टीलामोड़ जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 30 वर्ष।
2. मो0 वसीम पुत्र मो0 चाँद निवासी एम के रेस्टोरेन्ट के पास LIG फ्लैट्स तुलसी निकेतन थाना टीलामोड़ जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष।
3. राहुल पुत्र जगमाल निवासी म0नं0 332 गली नं0 18 सरकारी स्कूल के पीछे हर्ष विहार द्वितीय थाना टीलामोड़ जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 28 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

- चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद।

अपराधिक इतिहास अभियुक्तगण-

गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध थाना टीलामोड़ पर चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम।

साइबर सैल थाना साहिबाबाद कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा साइबर फ्रॉड में ठगी गई 53,199/- की धनराशि वापस करायी गयी।

आज दिनांक 29.08.2025 को साइबर सैल थाना साहिबाबाद कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा आवेदक श्री सुनील कुमार पुत्र किशनलाल निवासी गली नं0-09 अर्थला थाना साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद के साथ हुए साइबर फ्रॉड में ठगी गयी कुल धनराशि 53,199/- रू० वापस कराये गये।

कार्यवाही का विवरण

साइबर क्राइम अपराधियों के विरुद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही के परिणाम स्वरूप साइबर सैल थाना साहिबाबाद कमिश्नरेट गाजियाबाद को एनसीआरपी पॉर्टल के माध्यम से दिनांक 25.08.2025 को श्री सुनील कुमार पुत्र किशनलाल निवासी गली नं0-09 अर्थला थाना साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद के साथ 53,199/- रू0 की साइबर ठगी से सम्बंधित शिकायत प्राप्त हुई थी जिस पर साइबर सैल थाना साहिबाबाद कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए आवेदक के साथ हुई आनलाइन ठगी की धनराशि को होल्ड कराया गया व अथक प्रयासों के बाद आज दिनांक 29.08.2025 को आवेदक के साथ हुई साइबर फ्रॉड की धनराशि को वापस कराया गया।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम-

थाना साहिबाबाद साइबर सैल

श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में पुलिस बल को सशक्त एवं उनकी कार्यक्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से एक अनोखी पहल जिसमे "कवच" की टीम के द्वारा पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों (महिला एवं पुरुष) को सेल्फ डिफेन्स में प्रशिक्षित करने हेतु दो दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।

श्रीमान पुलिस आयुक्त गाजियाबाद द्वारा पुलिस बल की सुरक्षा और कार्यक्षमता को बढ़ाने हेतु एक अभूतपूर्व कदम उठाया गया है। जिसमें पुलिस बल की कार्यक्षमता को ओर सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एक अभिनव पहल शुरू की गई है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम पुलिस आयुक्त/अतिरिक्त पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशन में श्रीमती प्रियाश्री पाल, सहायक पुलिस आयुक्त वेवसिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा

संचालित किया जा रहा है। इस पहल के तहत पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों (महिला एवं पुरुष) को सेल्फ डिफेंस का दो दिवसीय विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया गया। उक्त प्रशिक्षण में कुल 200 प्रतिभागियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। जिसमें दिनांक 28.08.2025 को महिला पुलिस अधिकारी/कर्मचारीगण एवं आज दिनांक 29.08.2025 को पुरुष अधिकारी/कर्मचारीगण द्वारा प्रतिभाग किया गया।

- उक्त दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के द्वितीय दिवस में श्री भाष्कर वर्मा सहायक पुलिस आयुक्त कविनगर, श्री ज्ञानप्रकाश राय सहायक पुलिस अंकुर विहार, श्री सिद्धार्थ गौतम सहायक पुलिस आयुक्त लोनी, श्री अजय कुमार सिंह सहायक पुलिस आयुक्त यातायात तृतीय, श्री अतुल कुमार सिंह सहायक पुलिस आयुक्त शालीमार गार्डन,थाना प्रभारी,चौकी प्रभारी तथा विभिन्न थानों पर नियुक्त पुरुष पुलिस अधिकारी/कर्मचारीगण एवं समस्त जोन की स्वाट टीम द्वारा प्रतिभाग किया गया।
- इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य पुलिस कर्मियों को आपातकालीन परिस्थितियों में स्वयं को मजबूत बनाना तथा जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्षम बनाना है। प्रशिक्षण में आधुनिक तकनीकों, आत्मरक्षा के कौशल और तनाव मुक्त माहौल में कार्य करने जैसे विषय शामिल किए गए हैं। यह प्रशिक्षण पुलिस बल की कार्यकुशलता को बढ़ाने के साथ-साथ जनता के प्रति उनकी जिम्मेदारी को और प्रभावी ढंग से निभाने में सहायक होगा।
- उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षकों द्वारा प्रतिभागियों को निम्न तकनीकों को डेमो प्रदर्शन तथा अभ्यास के द्वारा सिखाया गया-
  1. Single Hand Grab
  2. Double Hand Grab
  3. Front Choke Defence
  4. Back Choke Defence
  5. Front Hair Pull Defence
  6. Back Hair Pull Defence
  7. Defence Against Back bear hug
  8. Knife attack Defence
  9. Mounted Choke Defence
  10. Multiple Attackers Scenarios
- उक्त प्रशिक्षण प्रदान करने वाली संस्था "कवच" के संस्थापक/मुख्य प्रशिक्षक श्री वरुण रावत एवं दिव्या पंवार सह-संस्थापक/लीड इंस्ट्रक्टर तथा टीम के अन्य 05 सदस्यों द्वारा उक्त प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
- "कवच" टैक्टिकल कॉम्बैट सिस्टम इंडिया के प्रमुख संस्थानो में से एक है जो हैंड-टू-हैंड कॉम्बैट और स्ट्रीट सेल्फ-डिफेंस ट्रेनिंग फॉर पुलिस के लिए विख्यात है।

- कवच ने 10 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ भारतीय सेना इकाईयों,कमाण्डो प्रशिक्षण केंद्रो, सीआईएसएफ, उत्तराखण्ड पुलिस, हरियाणा पुलिस, रेलवे संचालन कमाण्डो के साथ अपनी प्रशिक्षण विशेषज्ञता का प्रदर्शन किया है।
- वर्दी में प्रत्येक व्यक्ति को सशक्त बनाने के उद्देश्य के साथ कवच वास्तविक जीवन की चुनौतियों का सामना करने और नागरिकों की सुरक्षा करने के लिए जागरुकता, आत्मविश्वास और व्यावहारिक कौशल दिलाने में अग्रणी रहा है।

प्रशिक्षण के उपरान्त श्री सुरेन्द्र नाथ तिवारी, पुलिस उपायुक्त ग्रामीण द्वारा कवच के संस्थापक/मुख्य प्रशिक्षक श्री वरुण रावत को स्मृति चिह्न प्रदान कर कार्यक्रम का समापन अपने सम्बोधन द्वारा किया गया।

पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशन में पुलिस बल को आत्म रक्षा में कुशल बनाने के उद्देश्य से कमिश्नरेट गाजियाबाद में ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन निरन्तर जारी रहेगा। यह कदम न केवल पुलिस कर्मियों के आत्मविश्वास को बढ़ाता है, बल्कि समाज में सुरक्षा के प्रति एक सकारात्मक संदेश भी पहुँचाता है। प्रतिभागियों ने भी इस कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा है और उन्हें दैनिक जीवन में सतर्क रहने के तरीकों की जानकारी प्राप्त हुई है तथा इस प्रकार के कार्यक्रमों में निरन्तर भाग लेने की इच्छा व्यक्त की गई है।